संख्या -07/सीपी 513/84-2-2013-सीपी 33/97

प्रेषक,

नेकपाल वर्मा,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
शामली।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 06 जनवरी, 2014

विषय जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष फोरम, शामली को क्रियाशील किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-65/सीपी 407/84-2-2013-सीपी 33/97, दिनांक 29 अक्टूबर, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से निबन्धक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 की छायाप्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आख्या की अपेक्षा की गयी है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र में वांछित आख्या अभी तक शासन को अप्राप्त है। अतः कृपया वांछित आख्या शासन को प्राथमिकता के आधार पर एक सप्ताह में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नेकपाल वर्मा)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in